ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 159-161

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

मद्यपान–विरोधी विचारधारा एवं आन्दोलन

ब्यूटी कुमारी

शोध अध्येत्री– राजनीति विज्ञान, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया (बिहार), भारत

Received-09.05.2023, Revised-15.05.2023, Accepted-19.05.2023 E-mail: akbar786ali888@gmail.com

सारांशः ***मद्यपान की अनियन्त्रित मात्रा में सेवन से व्यक्ति अपना होशो–हवास खो देता है तथा आदती बन जाने पर विभिन्न तरह की बीमारियों का शिकार बन जाता है। इतना ही नहीं मद्यसेवी के आचार–व्यवहार से समाज में विभिन्न तरह के बुराइयों का अभ्युदय भी हुआ। फलस्वरूप समाज में नकारात्मक प्रक्रियाओं का उदय हुआ और इस प्रकार मद्यपान वैयक्तिक, पारिवारिक व सामाजिक विघटन का हेतुक बनने लगा। ऐसी स्थिति में वैदिक काल से ही इस पर रोक लगाने हेतु हमारे मनिषियों ने प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया और शनैःशनैः इनका प्रयत्न एक आन्दोलन का रूप धारण करने लगा। इन आन्दोलनों का अध्ययन आवश्यक है।***

कुंजीभूत शब्द– मद्यपान, अनियन्त्रित मात्रा, बीमारियों, आचार–व्यवहार, अभ्युदय, नकारात्मक प्रक्रियाओं , पारिवारिक व सामाजिक।

वैदिक काल में यदा–कदा मद्यपान के अनियन्त्रित प्रयोग के कारण जब सामाजिक बुराईयों ने जन्म लिया तो इसका विरोध शुरू आ। ऋग्वेद में वसिष्ठ ने वरूण से प्रार्थना भरे शब्दों में कहा है कि मनुष्य स्वयं अपनी वृत्ति या शक्ति से पाप नहीं करता, प्रयुत भाग्य, सुरा, क्रोध, जुआ एवं असावधानी के कारण ऐसा करता है।

काठस संहिता के अध्ययन से पता चलता है कि इस काल में सुरापान को अपराध समझा जाता था। इसमें वर्णन मिलता है कि "प्रौढ़, युवक, बधुएं और श्वसुर सुरा पीते थे और साथ–साथ प्रलाप करते हैंय मूर्खता (विचारहीनता) सचमुच अपराध है, अतः ब्राह्मण यह सोचकर कि यदि मैं पीऊँगा तो अपराध करूँगा, सुरा नहीं पीते थे, किन्तु क्षत्रियों के लिए इसका निषेध नहीं था।

बौद्ध धर्म और जैन धर्म– बुद्धकालीन जातक (81) में इससे सम्बन्धित एक कथा आयी है, जो इस प्रकार है– "कौशम्बी में एक बहुत बड़े नाग का दमन करने के कारण सागत स्थविर का बहुत सम्मान हुआ और उनके सम्मान में कौशाम्बीवासियों ने उन्हें अपने घर निमन्त्रित कर कबूतरी शराब पीलायी, जो उन्हें दुर्लभ थी। स्थविर इतनी अधिक मात्रा में पिये कि वही बेहोश होकर गिर पड़े। बुद्ध ने इसे देखकर भिक्षुओं से कहा कि सागत को उठाकर किसी अन्य स्थान पर आराम से लिटा दो। इसके बाद बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, क्या नागराज का दमन करने वाला यह सागत इस अवस्था में पानी के सॉप का भी दमन कर सकता है। भिक्षुओं ने कहा नहीं, तो फिर बुद्ध ने भिक्षओं से पूछा" क्या ऐसी चीज का पान करना उचित है जिसे पीकर मनूष्य बेहोश हो जाय। इस पर भिक्षुओं ने कहा नहीं। कुम्भजातक (512) में उल्लेख है कि मद्य पीकर आदमी लड़खड़ाने लगता है, प्रपात, गढ़े, गार, तलाब अथवा जोहड़ में गिर पड़ता है और अनेक प्रकार के अखाद्य पदार्थ खाता है। इसके पीने के बाद चित्त पर काबू नहीं रहता तथा व्यक्ति बैल की तरह कुछ भी खाता हुआ घूमता है, बेकाबू होकर गाता है और नाचता है।

मद्यपान से व्यक्ति अभिमान से लाल–लाल आँखें करके यह समझने लगता है कि सारी पृथ्वी पर और कोई चक्रवर्ती राजा मेरे समान नहीं है। यह इन्सान में अभिमान पैदा करने वाली है, कलह करने वाली है, चुगलखोरी का कारण होती है, नग्न करने वाली है तथा धान्य, धन, चाँदी, सोना और पशुओं को नष्ट कर डालती है तथा धनवान कुलों को भी नष्ट कर डालती है जिसे पीकर व्यक्ति शरीर वाणी अथवा मन से दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करके नरकगामी होता है तथा आवश्यक कार्य होने पर उसे कहीं भेजा जाय तो नशे में कही हुई बात को भी नहीं कह सकता।

महासुतसोम– जातक (537) के अनुसार ब्राह्मण मद्यपान को बुरा मानते थे। जैन–धर्म में भी इससे दूर रहने को कहा गया है। कल्पसूत्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि ऐसे भिक्षु एवं उपासक, जो स्वस्थ और मजबूत हैं उन्हें पज्जूभष के समय निम्न पेय पदार्थों को नहीं पीना चाहिए– दूध, खट्टा दूध, ताजा मक्खन, शुद्ध मक्खन, तेल, चीनी, शहद, मद्य और माँस। फिर भी भिक्षुओं को बीमारी आदि अवस्थाओं में इन पेयों को पीने की अनुमति थी।

गौतम धर्मसूत्र में गौतम ने इसके निषेध पर जोर देते हुए बताया है कि सुरापान करने वाले ब्राह्मण के मुख में तमती हुई सुरा डालेय इस प्रकार उसकी मृत्यु होने पर सुरा–पान का प्रायश्चित होता है। किन्तु अगर किसी ब्राह्मण ने अज्ञानवश सुरापान किया हो तो तीन दिनों तक क्रमशः उष्ण दूध, घृत और जल पीकर रहने एवं उष्ण वायु का सेवन करने से शुद्धि होती है। इस प्रायश्चित को तप्त. च्छ कहते हैं, इसके उपरान्त उसका पुनः उपनयन संस्कार होता है।

प्राणायाम करने एवं घृत पीने पर शुद्धि होती है। गौतम के अनुसार यद्यपि सन्तानों को पितरों का ऋण चुकाना चाहिए, किन्तु पितरों द्वारा सुरापान के लिए लिये गये ऋण को अदा करना सन्तानों का कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि मद्यपान की आदत बुरा है और ऋण देकर वह इस प्रवृत्ति को और बढ़ा रहा है जो सामाजिक दृष्टि से अवरूद्ध है। इसलिए उसका सन्तान इस ऋण को अदा करने के लिए बाध्य नहीं है।

बौधायन ने भी सुरापान को बुरा माना है और कहा है कि सुरा पीने पर उसी प्रकार की खौलती हुई सुरा का पान कर शरीर को जलाने का प्रावधान बताया है। आपस्तम्ब में भी ब्राह्मणों के लिए सभी प्रकार के मादक वस्तुओं के सेवन का निषध है। आपस्तम्ब ने सुरापान को पतने करने वाला आचरण बताते हुए कहा है कि सुवर्ण की चारी, ब्राह्मण की हत्या, पुरूष वध, वेदाध्ययन का त्याग, गर्भ की हत्या, माता–पिता के योनि सम्बन्धी स्त्रियों (माता की बहन, पिता की बहन) तथा उनकी पुत्रियों (मौसी की पुत्री, बुआ की पुत्री) के साथ मैथुन, सुरापान तथा उन लोगों के साथ संयोग, जिनसे संयोग करना निषेध है– ये सभी पतने करने वाला दुराचरण है।

स्मृतियाँ समस्त द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य) के लिए मद्यपान का निषेध करती हैं। मनूस्मृति में कहा गया है कि अगर द्विज मोहवश

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

सुरा पी लेता है तो वह अग्नि के समान गर्म सुरा पीवे जिससे उसके मुँह के जलने (के कारण मर जाने) पर मनुष्य उस मदिरा (सुरा) से उत्पन्न हुए पाप से छूट सकता है अथवा (सन्तप्त होने से) अग्नि के समान वर्ण वाले गोमूत्र, पानी, दूध, घी या गोबर के रस को मरने तक पीये।

मनूस्मृति में कहा गया है कि सूरा अन्नों का मल है और पाप भी मल है इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुरा नहीं पीना चाहिये। मनु ने इसे राक्षसों का पेय बतलाते हुए कहा है कि मद्य, मांस, सुरा और आसव ये चारों यक्ष–राक्षसों तथा पिचाशों के अन्न हैं अतएव देवताओं के हविष्य खाने वाले ब्राह्मणों को उनका भोजन (पान) नहीं करना चाहिए।

मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस ब्राह्मण का शरीर एक बार भी मद्य से आप्लावित हो जाता है अर्थात् जो ब्राह्मण एक बार भी मद्य पी लेता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है तथा वह शुद्रत्व को प्राप्त करता है। अगर द्विज अज्ञानवश वारूणी पी लिया है तो वह पुनः संस्कार से ही ठीक हो सकता है, लेकिन अगर जानबूझ कर वारूणी पीया है तो मर कर ही शुद्ध होता है।

मनु के अनुसार यदि किसी ने सुरा के बर्तन में पानी पी लिया है तो इसके लिए उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा जो इस प्रकार है– पैष्टी सुरा तथा दूसरे प्रकार के मद्य के बर्तन में जल पीकर शङ्ख पुष्पी नामक औषधि को डालकर पकाये दूध को पॉच रात्रि पीना चाहिए और यदि किसी ने मदिरा को स्पर्श कर लिया है तो वह विधिवत दान दे और शूद्र का जूठा पानी पीकर तीन दिन तक कुश को उबाल कर उसका पानी पीवे। तब जाकर वह शुद्ध होता है।

मनुस्मृति में ब्राह्मण और क्षत्रियों के न बेचे जाने योग्य वस्तुओं में मद्य को भी सम्मिलित किया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सब प्रकार के जंगली पशु, दॉत वाले (सिंह, बाघ, चिता और कुत्ता आदि) पशु, पक्षी, जल जन्तु (मछली, मगर, कच्छप आदि), मघ, नील, लाख (चमड़ा लाही), एक खूर वाले (घोड़ा आदि) पशु को ब्राह्मण और क्षत्रिय चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न पड़े नहीं बेचना चाहिए। मनु ने राजाओं के अवगुणों, दस को आनन्द काम से उत्पन्न तथा आठ को क्रोध से उत्पन्न माना है और इन दस काम जन्य व्यसनों, मृगया (शिकार), जुआ, दिन में सोना, पराये की निन्दा, स्त्री में अत्यासक्ति, मद (नशा, मद्यपान आदि), नाच–गोने में अत्यासक्ति और व्यर्थ भ्रमण में मद्यपान, जूआ, स्त्रियॉ और शिकार को क्रमशः अत्यन्त कष्टदायक बताया है। मनु ने मद्यपान करने वाली स्त्री को त्याज्य बतलाते हुए कहा है कि मद्यपान करने वाली दुराचारी (पति के) प्रतिकूल रहने वाली, (कुष्ठ यक्ष्मा आदि) रोग वाली, (दास–दासी आदि को सदा) मारने या फटकारने वाली और अधिक धन व्यय करने वाली स्त्री के जीवित रहने पर भी पति दूसरा विवाह कर ले। मद्य–पान करने पर एवं किसी विशेष स्थिति में राज्य की तरफ से दण्ड की भी व्यवस्था थी। मनु ने लिखा है कि जो (क्षत्रियादि) स्त्री (पति आदि स्वजनों के) मना करने पर भी विवाहादि उत्सवों में (निषिद्ध) मद्य का पान करे अथवा सबके सामने नाच–गाने आदि में सम्मिलित हो तब राजा उसे 6 कृष्णल (रत्ती) सुवर्ण से दण्डित कर सकता है।

मनु ने सुरापान की गणना महापातकों में करते हुए लिखा है कि ब्रह्म हत्या, निशिद्ध मद्यपान, (ब्राह्मण के) सुवर्ण को चुराना, गुरू की भार्या के साथ सम्भोग और इन (चारों में से किसी एक) के साथ भी एक वर्ष तक संसर्ग ये पाँच महापातक है और कहा है कि सुरा पीने वाला ब्राह्मण कृमि (बहुत सूक्ष्म कीड़ें) कीट (कृमियों से कुछ बड़े कीड़े), पतङ्ग (उड़ने वाले फतिंगे यथा शलभ टिड्डी आदि) विष्टा खाने वाले तथा हिंसक जीवों की योनि को प्राप्त करता है।

रामायण के अयोध्या काण्ड में जब कैकेयी राम को वन भेजना चाहती है तब दशरथ जी कहते है कि, "ओह! मैं तुम्हें अत्यन्त सती साध्वी समझता था, परन्तु तू बड़ी दुष्ट निकली, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मनुष्य देखने में सुन्दर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किये गये विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला है। दशरथ जी आगे कहते है कि अगर तुम राम को नगर से बाहर निकाल दोगी तो श्रेष्ठ पुरूष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में मड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर उसी प्रकार मुझे देखेंगे, जिस प्रकार एक ब्राह्मण, जो शराबी है।

भरत भी राम के वन चले जाने पर क्रोध में आकर कहते हैं– "जिसकी सलाह से श्री रामचन्द्र जी को वन जाना पड़ा है वह काम, क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान, स्त्री समागम और ध्रूत क्रीड़ा से आसक्त रहे। महाभारत के आदि पर्व में शुक्र ने ब्राह्मणों के लिए जो मद्यपान का निषेध किया है, उससे सम्बन्धित एक कथ वर्णित है जिसके अनुसार सुरापान के आदी शुक्र को, असुरों ने उसके शिष्य कच को जलाकर उसकी राख को सुरा में मिलाकर पिला दिया, पता चलने पर शुक्राचार्य ने कच को संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित किया और सुरा को निषिद्ध बताते हुए यह नियम बनाया कि जो ब्राह्मण सुरापान करेगा वह ब्रह्महत्या का भागी होगा।

याज्ञवल्क्य ने भी सुरापान की गणना महापातकों में की है तथा यह निर्देश दिया है कि सुरा पीने वाला महापातकी सुरा, जल, घृत, गोमूत्र और दूध में से किसी एक को खूब खौलाकर पीए और उससे उसकी मृत्यु हो जाय तब वह शुद्ध होता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार अज्ञान से सुरा, वीर्य, विष्टा या मूत्र पीने पर तीनों द्विजाति वर्ण पुनः संस्कार करने योग्य हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य भी स्त्रियों के मद्यपान के पक्ष में नहीं थे। याज्ञवल्क्य के अनुसार सुरापान करने वाली, दीर्घ रोग से ग्रस्त, धूर्त, बांझ, धन का नाश करने वाली, कठोर वचन बोलने वाली पुत्रियों को ही जन्म देने वाली और पति का अहित करने वाली पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह कर लेना चाहिए।

मनु, याज्ञवल्क्य आदि प्रमुख स्मृतिकार द्विजाति तक के लिए ही मद्यपान का निषेध बतलाते हैं। अर्थात् उन्होंने शूद्र वर्ण की चर्चा इस सन्दर्भ में नहीं की है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में शूद्र मद्य पीते रहे होंगे और इस बात पर धर्मशास्त्रकारों को आपत्ति नहीं थी। किन्तु पाराशर ने मत प्रकट किया है कि जो शूद्र ब्राह्मण की सेवा में लगा हो और यदि मद्यपान करता है, वह त्याज्य है। उपर्याकित विवेचनाओं से स्पष्ट है कि मद्यपान रूपी शारीरिक, मानसिक व आर्थिक छति करने वाला तथा सामाजिक बुराई के रूप में जनित मद्य–सेवन को रोकने के लिए वैदिक काल से ही विचारधारा बनने लगी। इसी कारण भारत से सदा से ही मद्यसेवन

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

को पापाचार के रूप में देखा जाता रहा है और इसके विपक्ष में न केवल आवाज उठाया जाता था, बल्कि विभिन्न तरह के प्रायश्चित को भी करना पड़ता था। यह अवश्य है कि मद्यपान निषेध मुख्य रूप से ब्राह्मण में करने का प्रयत्न किया गया, किन्तु क्षत्रिय और वैश्य के लिए कड़ी वज्रनाओं का उल्लेख है। शूद्र के सन्दर्भ में मद्यपान न पीने का कोई विशेष विधान नहीं था। चूंकि इन कालों में राजाओं, जमींदारों व अन्य धनाढ्य लोगों द्वारा मद्य सेवन किया जाता था, इसलिए कोई प्रभावी कानून नहीं बन पाया। फिर भी भारत 'धर्म–प्राण' समाज होने के कारण मनिषियों द्वारा दिये गये उपदेशों और नियमों का पालन जनता के लिए ईश्वर के आदेश के समान था और इसीलिए भारत में कभी भी मद्यपान को आम रूप से स्वीकार नहीं किया गया। इन सबका अन्ततः फल यह हुआ कि आधुनिक काल में जनता सरकार स्वयंसेवी संस्थाएं एवं महिलाएं नशा विरोधी अभियान में जुड़ी हैं । स्पष्ट है कि मद्यपान का इतिहास एक .ष्टि से मानव सभ्यता के विकास का परिचायक है क्योंकि मद्य निर्माण की पद्धति ने मनुष्य के वैज्ञानिक .ष्टिकोण के विकास पर प्रकाश डालना पड़ता है तो दूसरी ओर मद्यपान का इतिहास समाज विघटन का इतिहास भी है। इन दोनों .ष्टियों से मद्यपान का अध्ययन समीचिन है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऋग्वेद : 7, 86, 5, 6.
2. काठस संहिता : 12.12.
3. जातक : 1, पृ० 511.
4. वही 5, श्लोक 37, 38.
5. वही 5, श्लोक 43, 45, 46.
5. कल्पसूत्र, 9, 17.
6. नायाधम्मकहावो, 5, पृ० 80.
7. गौतम ध० सू०, 3, 5, 1.
8. वही, 3, 5, 2.
9. वही, 3, 5, 6.
10. वही, 2, 3, 38.
11. बौ० ध० सूत्र, 2, 1, 1, 17.
12. आप० ध० सूत्र, 1, 5, 17, 21.
13. वही, 1, 7, 21, 8.
14. मनु, 11, 90.
15. वही, 11, 91.
16. वही, 11, 93.
17. वही, 11, 95.
18. वही, 11, 97.
19. वही, 11, 147.
20. पारा स्मृति, 11, 15.
21. वही, 10, 89.
22. मत्स्य पु० 25, 62.
23. याज्ञ० , 3, 253.
24. वही, 2.69 संस्करण, चिन्ह् 1795, पंक्ति 7,8.
25. महा० आदि०, 71, 55–54.
26. वही, 12, 56.
27. रामा०, परि०, 1, संख्या 9, पंक्ति 134, 135.
28. वही, 9, 84.
29. वही, 11, 54.
30. विष्णु पु०, 2, 6, 9.
31. वही, 7, 47 ,48, 50.
32. वही, 9, 80.
33. वही, 3, 255.
34. वही, 1, 73.
35. वही, 11, 148.

*****